रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012026-269260
CG-DL-E-12012026-269260

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2026/पौष 18, 1947
No. 109] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2026/PAUSHA 18, 1947

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2026

का.आ. 119(अ).— एक प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2644 (अ), तारीख 13 जून 2025 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर उसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी संभाव्य व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख तारीख 14 जून 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के संबंध में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप, टिप्पणीयां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और लिप्पा-असरंग वन्यजीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले के पूह उप-मंडल की मूरंग तहसील में आता है। यह भू-निर्देशांक उत्तर (31° 44' 21" उत्तर और 77° 15' 00" पूर्व), पूर्व (31° 40' 32" उत्तर और 78° 18' 07" पूर्व), दक्षिण (31° 39' 29" उत्तर और 78° 17' 24" पूर्व) और पश्चिम (31° 41' 27" उत्तर और 78° 13' 09" पूर्व) के बीच स्थित है। यह तैती नाले के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जो सतलुज नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक

नदी है। इसकी ऊंचाई 3000 मीटर से लेकर 5122 मीटर तक है तथा अभयारण्य शुष्क ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र का एक अनूठा परिदृश्य दर्शाता है, जिसमें अधिकांश अभयारण्य क्षेत्र काफी हद तक समतल और आंशिक रूप से बंजर शीत्त रेगिस्तान है;

और लिप्पा-असरंग को सर्वप्रथम 1974 में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की अधिसूचना संख्यांक 5-11/70-एसपी, तारीख 27-04-1974 के माध्यम से एक अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। तत्पश्चात्, अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) की धारा 26क के माध्यम से तारीख 7 जून, 2013 को अधिसूचना संख्या एफईई-बी-एफ(6)-11/2005-II/ लिप्पा आसरंग के माध्यम से युक्तिसंगत बनाने के पश्चात् अंतिम रूप से अधिसूचित किया गया था। वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 31 वर्ग किलोमीटर है;

और अभयारण्य और अधिकांश क्षेत्र भौगोलिक और जलवायु दोनों दृष्टि से अलग-थलग हैं, जिनमें अल्पाइन झाड़ियाँ और अल्पाइन चरागाह जैसे वन के प्रकार सम्मिलित हैं। अभयारण्य में वनस्पतियों और जीवों की कई संकटग्रस्त प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अभयारण्य में पाई जाने वाली आरईटी प्रजातियों सहित प्रमुख प्रजातियों में हिमालयन तहर (*हेमित्रागस जेमलाहिकस*), हिमालयी भूरा भालू (*उर्सस आर्कटोस इसाबेलिनस*), हिमालयी काला भालू (*उर्सस थिबेटानस लैनिगर*), कस्तूरी मृग (*मोस्कस ल्यूकोगास्टर*), पहाड़ी बकरी (*कैप्रा आइबेक्स*), नीली भेड़ (*स्यूडोइस नायौर*), गोराल (*नेमोरहेडस गोरल*) आदि सम्मिलित हैं। यह अभयारण्य शानदार हिम तेंदुए (*पेंथेरा उन्शिया*) का घर है जो हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है और ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र के संरक्षण के लिए एक प्रमुख प्रजाति है;

और यह अभयारण्य एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है जो अपने विविध पक्षी जीवन के लिए प्रसिद्ध है, जो पक्षी प्रेमियों और पक्षीविज्ञानियों को आकर्षित करता है। यह अभयारण्य कई प्रवासी पक्षियों के लिए सर्दियों के निवास स्थान के रूप में है। अभयारण्य में पाए जाने वाले पक्षी और अन्य कीट प्रजातियों में गोल्डन ईगल (*एक्विला क्राइसेटोस*), हिमालयन ग्रिफ़ॉन वल्चर (*जिप्स हिमालयेंसिस*), स्नो पार्ट्रिज (*लेरवा लेरवा*), हिमालयन मोनाल (*लोफोफोरस इम्पेजानस*), अल्पाइन एक्सेंटर (*प्रुनेला कॉलरिस*), लैमर्जियर (*जिपेटस बार्बेटस*), हिमालयन स्नोकॉक (*टेट्राओगैलस हिमालयेंसिस*) मिस्र का गिद्ध (*नियोफ्रॉन पर्कनोप्टेरस*), राम चकोर (*एलेक्टोरिस चुकार*), व्हाइट कैप्ड रेडस्टार्ट (*फोनिकुरस ल्यूकोसेफालस*), हिमालयन बज़र्ड (*ब्यूटियो रिफेक्टस*), कॉमन बैंडेड एवल (*हसोरा क्रोमस*), इंडियन फ्रिटिलरी (*आर्गिनिस हाइपरबियस*), पेंटेड लेडी (*वैनेसा कार्डुई*), इंडियन स्किपर (*हेस्पेरिया कॉमा)* आदि; सम्मिलित हैं।

और अभयारण्य में कई तरह की वनस्पति प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें कई दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियाँ भी शामिल हैं। अल्पाइन घास के मैदानों से लेकर घने जंगलों तक के विविध आवासों में वनस्पतियों की एक समृद्ध विविधता है जिसमें *बेतुला यूटिलिस, पिनस वॉलिचियाना, आर्टेमिसिया ब्रेविफोलिया, हेराक्लियम कैंडिकन्स, थाइमस लीनियरिस, बर्गीनिया स्ट्रेची, बिस्टोर्टा एफिनिस, रोडोडेंड्रोन एंथोपोगोन, सेड्रस देवदारा, जुनिपरस कम्युनिस, स्किमिया लॉरियोला, एकोनिटम हेटरोफिलम, जेंटियाना कुरू, ज्यूरिनिया मैक्रोसेफला, एफेड्रा जेरार्डियाना*, आदि; सम्मिलित हैं।

और लिप्पा-असरंग वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र, विस्तार और सीमा को, जो इस अधिसूचना में नीचे दिए गए पैरा 1 में पारिस्थितिकीय, पर्यावरणीय और जैव विविधता के दृष्टिकोण से पारिस्थितिक-संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट है, संरक्षित और सुरक्षित रखना आवश्यक है और उक्त पारिस्थितिक-संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्ग और उनके संचालन और प्रक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (v) और (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लिप्पा-असरंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा जाएगा) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है, अर्थात्:-

(1) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन लिप्पा-असरंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर से 20.527 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें 298.469 वर्ग किलोमीटर का पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्मिलित है। इसमें से 125.68 वर्ग किलोमीटर भूमि बंजर भूमि है, 156.08 वर्ग किलोमीटर बर्फ से ढकी है, 14.74 वर्ग किलोमीटर घास का मैदान है और 1.969 वर्ग किलोमीटर में नदियां हैं।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विभिन्न मानचित्र **उपाबंध -II क, उपाबंध -II ख** और **उपाबंध -II ग** और **उपाबंध -II घ** के रूप में संलग्न हैं

(4) लिप्पा असरंग वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा पर भू-निर्देशांक **उपाबंध-III** के रूप में संलग्न हैं।

(5) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर कोई गांव नहीं है।

2. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर, स्थानीय लोगों के परामर्श से और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना को इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार ऐसी रीति में, तथा सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के भी अनुरूप यदि कोई हों, तैयार किया जायेगा।

(3) आंचलिक महायोजना को उक्त योजना में पारिस्थितिकीय तथा पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करने के लिए, राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा, अर्थात्:

(i) वन;

(ii) राजस्व;

(iii). कृषि और बागवानी;

(iv) पंचायती राज और ग्रामीण विकास;

(v) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(vi) पर्यटन;

(vii) नगर पालिका और शहरी विकास;

(viii) लोक निर्माण विभाग और राजमार्ग;

(ix) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(x) पर्यावरण;

(4) आंचलिक महायोजना यह भी सुनिश्चित करेगी कि जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो तब तक अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना की सभी अवसंरचनाओं और उसके क्रियाकलापों में सुधार करके, उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाया जाएगा।

(5) आंचलिक महायोजना, में वनरहित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं का उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, हरित क्षेत्रों, जैसे उद्यानों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा, सहायक मानचित्रों के साथ जिनमें विद्यमान तथा प्रस्तावित भू-उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों के साथ निर्धारण किया जाएगा।

(7) इस आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विकास को विनियमित किया जायेगा और पैरा 4 की सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन किया जाएगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित भी किया जाएगा और उसका संवर्धन किया जायेगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) इस तरह अनुमोदित आंचलिक महायोजना मॉनीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अपने मॉनीटरी कृत्यों को क्रियान्वित कर सके।

(10) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना के लंबन और उसके अनुमोदन होने तक, कोई भी नए विकासात्मक क्रियाकलाप पैरा 6 के उप-पैरा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट उपाबंध द्वारा शासित होंगी।

IndiaCode

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय. - राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्: -

(1) भू-उपयोग. – (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों,बगीचों, उद्यानों, झीलों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा;

परंतु पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि, उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए, मॉनीटरी समिति की सिफारिश पर तथा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के अन्य नियमों और विनियमों तथा क्षेत्रीय शहर नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन यथा प्रयोज्य स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं और क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुमति दी जा सकेगी, जैसे,-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं का सन्निर्माण और नवीनीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग सहित ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन सहित गृहवास को समर्थन करने वाले सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं; और

(v) पैरा-4 में दिए गए संवर्धित क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मॉनीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सही किया जाएगा और उक्त त्रुटि को सही करने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सही करने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

परंतु यह भी कि हरित क्षेत्र, जैसे वन क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं आएगी, अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के क्रियाकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- सभी प्राकृतिक झरनों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और पुनरुद्धार की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत ऐसी रीति से तैयार किए जाएंगे ताकि इन क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक है।

(3) पर्यटन और पारिस्थितिकी पर्यटन. – (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा,-

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन, महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से राज्य पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना, आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना, पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा के विस्तार तक, इनमें से जो भी निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु यह कि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, केवल पूर्व परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात की जाएगी;

(ii) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर जोर देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना को अनुमोदन नहीं मिल जाता, तब तक पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को स्थल-विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मॉनीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल,रिजार्ट या वाणिज्यिक स्थापन के संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) **प्राकृतिक विरासत. –** पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के उपबंधों के अनुसरण में किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण. -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण. -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण; - जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट. -** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक सामग्री का निपटान पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर अभिज्ञात स्थल पर किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट. –** जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के माध्यम से प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन. – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016, के माध्यम से प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 317 (अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के माध्यम से प्रकाशित सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय यातायात.- यातायात के यानीय आवागमन को पर्यावास-अनुकूल रीति से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध निगमित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने के ऐसे समय तक और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मॉनीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन यानीय आवागमन के अनुपालन की मॉनीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण. –** यानीय प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण लागू विधियों के अनुपालन में किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां. -** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अलावा, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण. -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जिनमें किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53); सहित अन्य लागू विधियाँ भी हैं और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्: -

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
		क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयाँ ।	क. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी खोदने सहित स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय, सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर उत्खनन और उनके अपघर्षण की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध किया जाएगा;

		ख. खनन प्रचालन कार्य, माननीय उच्चतम न्यायालय के टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूओआई के मामले में डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 202/1995 में, तारीख 21 अप्रैल, 2014 गोवा फाउंडेशन बनाम यूओआई के मामले में डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 435/2012 में, तथा तारीख 28 अप्रैल, 2023, टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूओआई के मामले में और डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 202/1995 में, तारीख 4 अगस्त, 2006 के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) पैदा करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में नये उद्योगों और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी। विद्यमान उद्योगों द्वारा प्रदूषण निवारण प्रौद्योगिकों तथा शोर अवरोधों की स्थापना की जानी चाहिए।
3	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध ।
4	किसी परिसंकटमय पदार्थ / परिसंकटमय अपशिष्ट का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध ।
5	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण ।	प्रतिषिद्ध ।
6	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं होगी।
7	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8	पॉलीथिन बैग और प्लास्टिक का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार (यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय) प्रतिषिद्ध।
9	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
10	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	प्रतिषिद्ध।
		ख.विनियमित क्रियाकलाप
11	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकटतर हो,किसी भी नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परंतु कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी निकटतर हो, पर्यटन महायोजना और लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
12	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतर हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी:

IndiaCode

		परंतु, स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उपविधियों के अनुसार पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति स्थानीय लोगों को दी जा सकेगी: परंतु यह और कि प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योगों से संबंधित निर्माण संबंधी क्रियाकलापों को प्रयोज्य नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम ही रखा जाएगा। (ख) एक किलोमीटर के दायरे से आगे इसे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
13	लघु पैमाने के प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण अनुसार प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योग, तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से स्वदेशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय , लघु एवं सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प-कृषि, बागवानी या कृषि-आधारित उद्योगों को अनुमति दी जाएगी।
14	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर से वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई को संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
15	वन उत्पाद या काष्ठेतर वन उत्पाद का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
16	विद्युत एवं संचार टावरों का निर्माण तथा केबल बिछाना एवं अन्य अवसंरचनाएं।	लागू विधियों के अधीन विनियमित भूमिगत केबलिंग का संवर्धन किया जा सकता है।
17	नागरिक सुविधाओं सहित अवसंरचना।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन के उपाय करना।
18	विद्यमान सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण के साथ शमन के उपाय करना।
19	पर्यटन से संबंधित अन्य कार्यकलाप जैसे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ऊपर गर्म गुब्बारे, हेलिकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स, आदि का उड़ान भरना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
20	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	खड़ी पहाड़ियों पर तथा किसी नदी या प्राकृतिक नाले के किनारों से 100 मीटर की दूरी तक कोई भी संनिर्माण कार्य नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमति न दी जाए।
21	रात के समय यानीय यातायात का आवागमन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
22	स्थानीय समुदायों द्वारा डेयरी, डेयरी फार्मिंग, जलीय कृषि और	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुमति।

	मत्स्य पालन के साथ-साथ की जा रही कृषि और बागवानी कार्य प्रथाएँ।	
23	फर्मों, कॉर्पोरेटों और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और मुर्गीपालन की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
24	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	विनियमित तथा समुचित प्राधिकारी द्वारा इस क्रियाकलाप की मॉनीटरी की जानी चाहिए।
25	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/अपशिष्टों का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल या अपशिष्टों को जल निकायों में जाने से रोका जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और अन्यथा, अनुपचारित अपशिष्ट जल या अपशिष्टों के निस्सारण को लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
26	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
27	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
28	विदेशी प्रजातियों का समावेशन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29	वर्षा संचयन।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
30	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
31	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
32	कुटीर उद्योग जिसमें ग्रामीण कारीगर आदि शामिल हैं।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
33	नवीकरणीय ऊर्जा एवं ईंधन का उपयोग।	बायो-गैस, सौर प्रकाश आदि को सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
34	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
35	बागवानी और औषधीय पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
36	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
37	अवक्रमित भूमि/वन/पर्यावास की बहाली।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
38	पर्यावरण जागरूकता।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
39	सतत वन प्रबंधन क्रियाकलाप ।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।

indiaCode

5. मॉनीटरी समिति- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मॉनीटरी के लिए एक मॉनीटरी समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:

क्र. सं.	मॉनीटरी समिति के घटक	पदनाम
(i)	सीसीएफ (प्रादेशिक) रामपुर वन क्षेत्र	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	विरासत संरक्षण सहित वन्यजीवन के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(iii)	प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण या वानिकी के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जिसे हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(iv)	क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाला उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	सदस्य ,पदेन;
(v)	डीसीएफ (प्रादेशिक) किन्नौर वन प्रभाग	सदस्य;पदेन ,
(vi)	हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;पदेन ,
(vii)	हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;पदेन ,
(viii)	डीसीएफ सरहन वन्यजीव प्रभाग	सदस्य सचिव, पदेन।

IndiaCode

6. मॉनीटरी समिति के कृत्य: -(1) मॉनीटरी समिति, वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट स्थितियों के आधार पर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में आते हैं और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेने के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राज्य पर्यावरण समाघात प्राधिकरण को निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006, की अनुसूची में जो क्रियाकलाप न आते हों और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आ रहे हों, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, की संवीक्षा मॉनीटरी समिति द्वारा वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट स्थितियों के आधार पर की जाएंगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मॉनीटरी समिति के सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबद्ध उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(4) मॉनीटरी समिति संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या पणधारियों के प्रतिनिधियों को, मामले दर मामले के आधार पर, अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(5) मॉनीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की अवधि तक अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपाबंध-V में विनिर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न है, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(6) केन्द्रीय सरकार, मॉनीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय. - इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी, यदि कोई हों।

8. उच्चतम न्यायालय आदि के आदेश. - इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा.सं. 25/62/2015/-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

उपाबंध I

पारिस्थितिकी संवेदी जोन का ब्यौरेबद्ध सीमा विवरण

परिदृश्य विशेषताओं के संदर्भ में पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में थोथी धार, गमझांग धार, टेपोंग, लाडसा धार, कियारी धार और मेटांग धार जैसी पर्वतमालाएं सम्मिलित हैं। वन बीट- यह किन्नौर प्रादेशिक वन प्रभाग के लिप्पा बीट के अधीन आता है। नदियाँ- गुमझांग नाला, टेपोंग नाला, लाडसा नाला, वारी नाला और तैती खड्ड। ग्लेशियर- मेटांगलोंपा ग्लेशियर, गुमझांग ग्लेशियर और लाडसा ग्लेशियर। अस्थायी गद्दी डेरे- धारवाली, धार लाडसा, धार टेपोंग, धार गुमझांग, धार मेटांग और धार कियारी। विभिन्न दिशाओं में सीमा विवरण इस प्रकार है:

उत्तर: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तर-पूर्वी सीमा पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान के साथ तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य के साथ साझा की जाती है।

दक्षिण: टोकटो और असरंग दो गांव हैं जो मूरंग रेंज में आने वाले पारिस्थितिकी संवेदी जोन के दक्षिण में स्थित हैं।

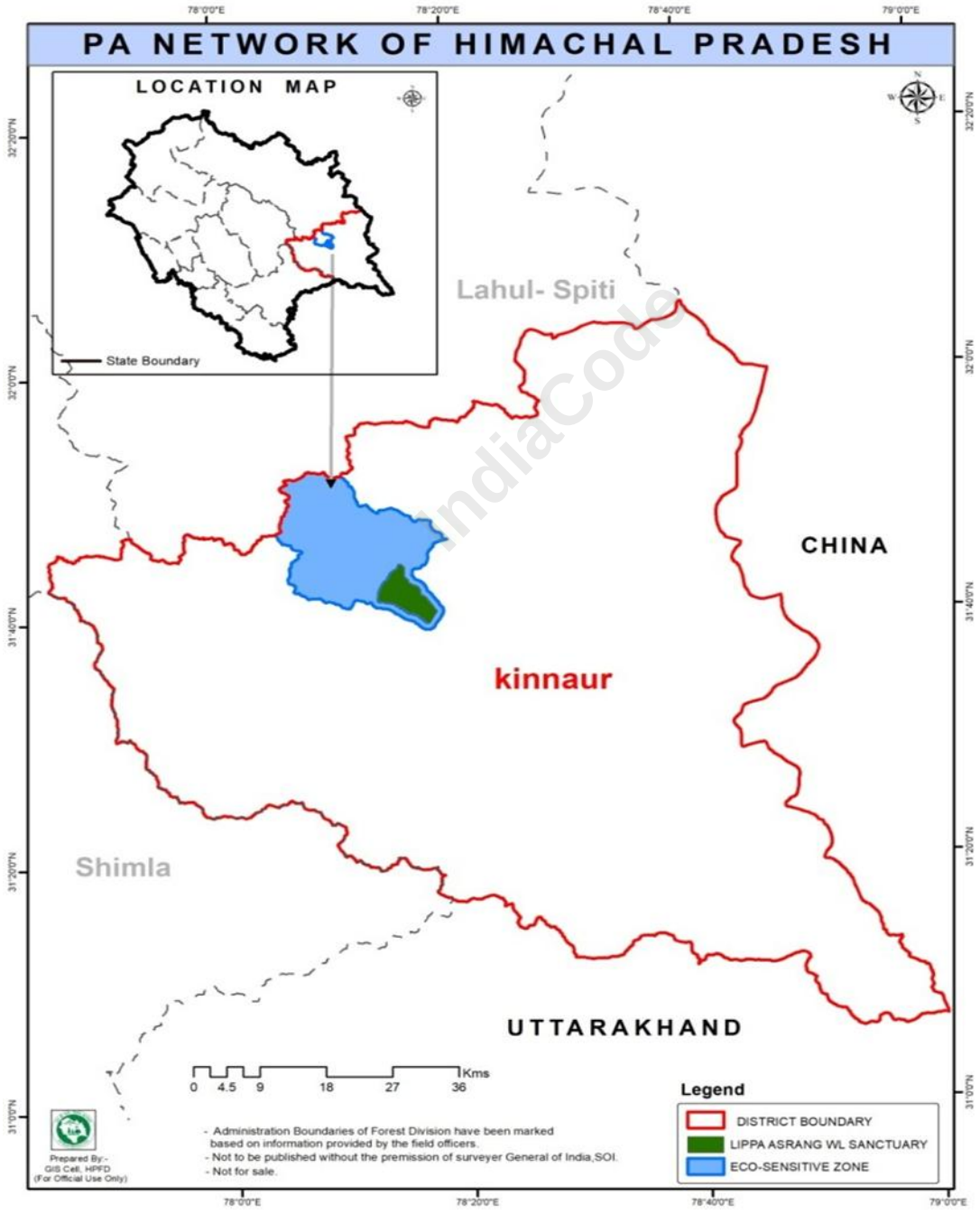
पूर्व: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पूर्वी सीमा किन्नौर प्रादेशिक वन प्रभाग की मूरंग रेंज और रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य के साथ संरेखित है; सीमा का कुछ हिस्सा रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ है।

पश्चिम: पारिस्थितिकी संवेदी जोन का पश्चिमी भाग ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन और रामपुर प्रादेशिक वन प्रभाग की सराहन रेंज के साथ संरेखित है।

IndiaCode

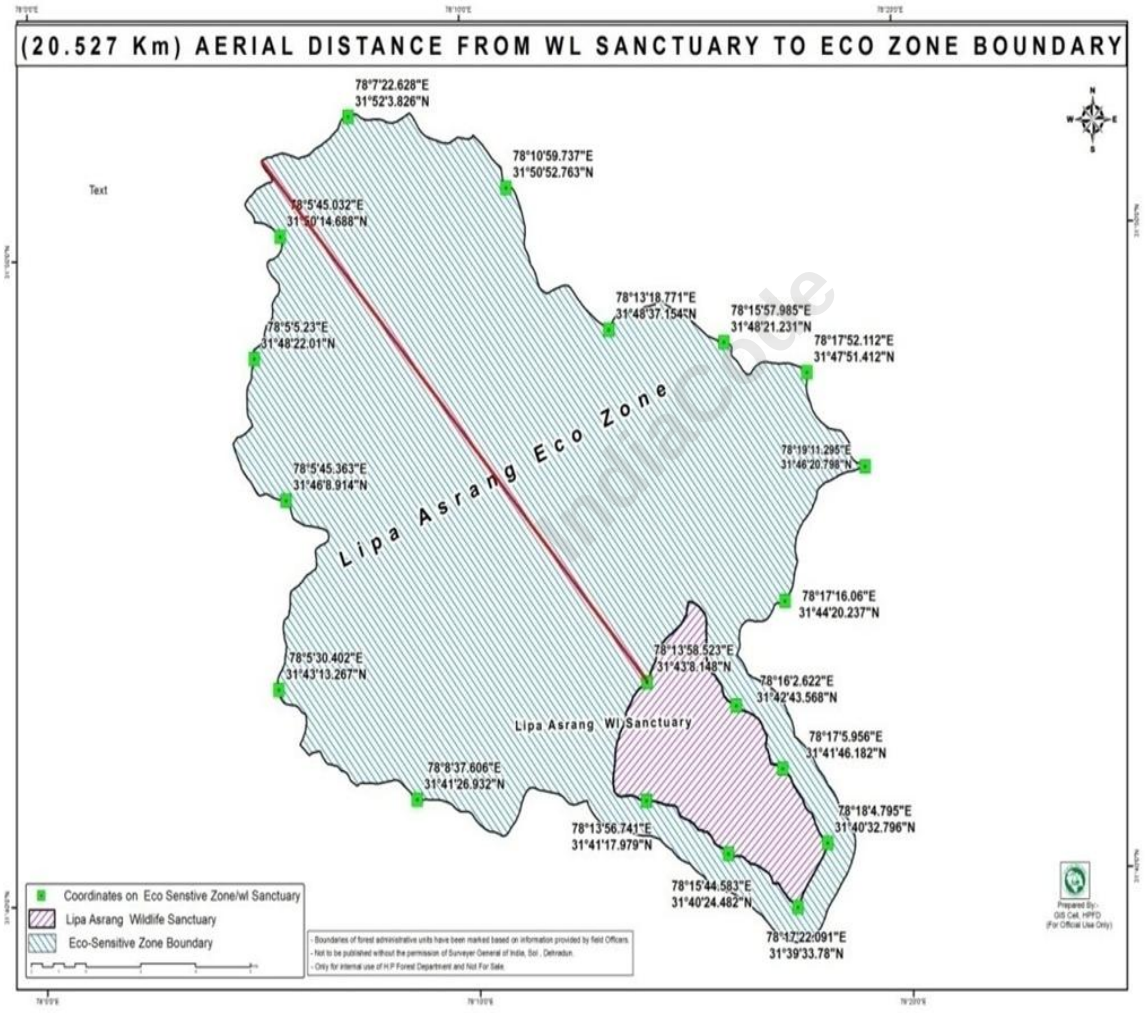
उपाबंध-IIक

किन्नौर जिले में लिप्पा असरंग वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अवस्थिति



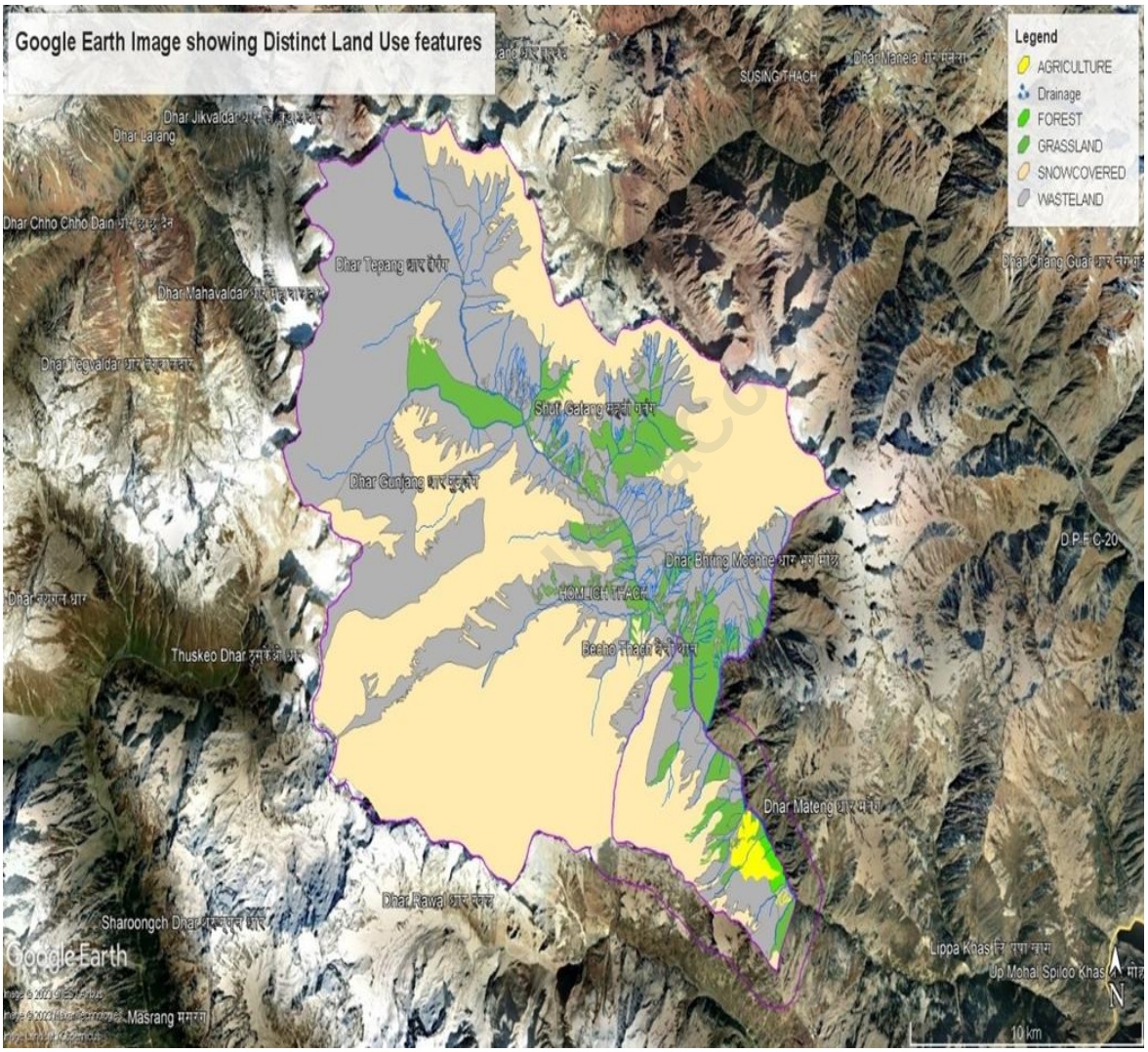
उपाबंध-II ख

वन्यजीव अभयारण्य से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा तक भू-निर्देशांक और हवाई दूरी दर्शाने वाला मानचित्र



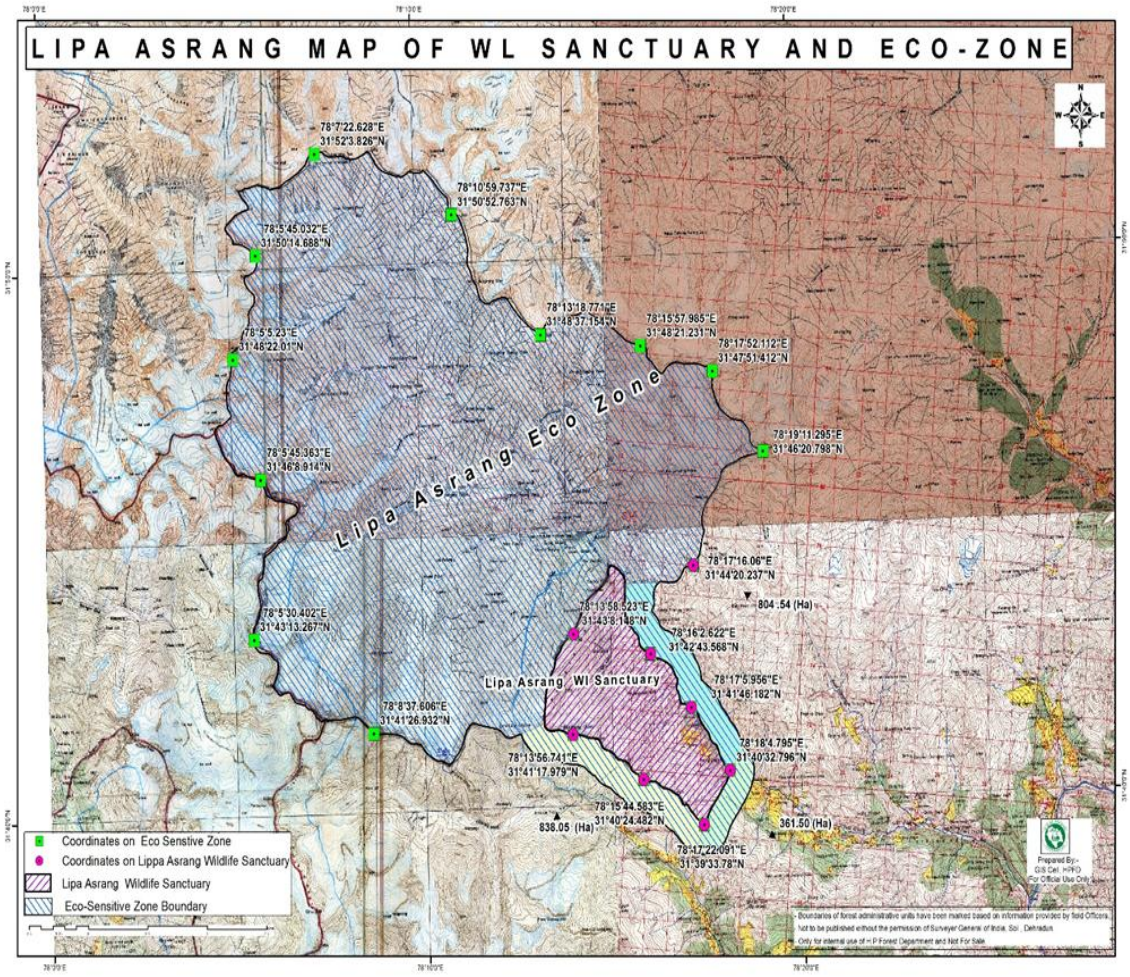
उपाबंध-II ग

पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का भूमि उपयोग भूमि आवरण मानचित्र



उपाबंध-II घ

लिप्पा असरंग वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का टोपो शीट मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: लिप्पा असरंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू-निर्देशांक

बिन्दु	अक्षांश (उ)	देशान्तर (पू)
बिन्दु स. 1	31°44’21.617”	78°15’0.019”
बिन्दु स. 2	31°43’36.63”	78°15’22.109”
बिन्दु स. 3	31°42’4.187”	78°16’6.465”
बिन्दु स. 4	31°42’4.459”	78°16’42.217”
बिन्दु स. 5	31°41’42.791”	78°17’6.442”
बिन्दु स. 6	31°41’13.894”	78°17’32.408”

बिन्दु स. 7	31º41'0.348"	78º17'44.577"
बिन्दु स. 8	31º40'32.268"	78º18'5.577"
बिन्दु स. 9	31º39'33.936"	78º17'22.667"
बिन्दु स. 10	31º40'0.005"	78º16'43.857"
बिन्दु स. 11	31º40'23.305"	78º16'2.253"
बिन्दु स. 12	31º40'23.659"	78º15'45.941"
बिन्दु स. 13	31º41'11.8"	78º14'36.235"
बिन्दु स. 14	31º41'28.98"	78º13'10.148"
बिन्दु स. 15	31º42'28.303"	78º13'23.89"
बिन्दु स.16	31º43'9.159"	78º13'59.134"

सारणी-ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू-निर्देशांक

बिन्दु	अक्षांश (उ)	देशान्तर (पू)
1)	31°52'3.826"	78°7'22.628"
2)	31°50'52.763"	78°10'59.737"
3)	31°48'37.154"	78°13'18.771"
4)	31°48'21.231"	78°15'57.985"
5)	31°47'51.412"	78°17'52.112"
6)	31°46'21.025"	78°19'9.646"
7)	31°44'20.237"	78°17'16.060"
8)	31°44'21.588"	78°15'0.004"
9)	31°42'39.74"	78°16'14.06"
10)	31°41'42.52"	78°17'11.00"
11)	31°40'3.05"	78°17'34.12"
12)	31°39'52.41"	78°16'47.83"
13)	31°40'54.99"	78°14'41.63"
14)	31°41'26.932"	78°8'37.606"
15)	31°43'13.267"	78°5'30.402"
16)	31°46'8.914"	78°5'45.363"
17)	31°48'22.010"	78°5'5.230"
18)	31°50'14.688"	78°5'45.032"

उपाबंध-IV

कार्यवाई की गई रिपोर्ट का प्रोफ़ार्मा

1.बैठकों की संख्या और तारीख.

2.बैठक का कार्यवृत्त: (विचारणीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठकों के कार्यवृत्त को एक अलग उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।

3.पर्यटनीय महायोजना सहित आंचलिक महायोजना के तैयारी की प्रास्थिति।

4.मामलों का सार जो भू-अभिलेखों में प्रकट होने वाली त्रुटियों को ठीक किए जाने से संबंधित है (पारिस्थितिकी संवेदी जोन-वार)। ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

5.पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश (ब्यौरों को एक अलग उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।

6.पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित नहीं होने वाले क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश (ब्यौरों को एक अलग उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।

7.पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज शिकायतों का सार।

8.कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2026

S.O. 119(E).— WHEREAS a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2644 (E), dated the 13th June, 2025, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on 14th June, 2025;

AND WHEREAS no objections, comments and suggestions were received from persons and stakeholders in respect of the said draft notification;

AND WHEREAS the Lippa-Asrang Wildlife Sanctuary falls within the Moorang Tehsil of Pooh sub-division of Kinnaur district. It is situated between geo-coordinates North (31° 44' 21" N and 77° 15' 00" E), East (31° 40' 32" N and 78° 18' 07" E), South (31° 39' 29" N and 78° 17' 24" E) and West (31° 41' 27" N and 78° 13' 09" E). It is a high-altitude area situated in the upper catchment of Taiti stream, which is an important tributary of the Sutlej River. The altitude ranges from 3000 metre to 5122 metre and the sanctuary beholds the unique landscape of dry Trans-Himalayan region with most of the sanctuary area being largely flat and in part barren cold desert;

AND WHEREAS the Lippa-Asrang was first notified as a sanctuary in 1974 *vide* Himachal Pradesh State Government notification number 5-11/70-SP, dated 27-04-1974. Thereafter, the sanctuary was finally notified after its rationalization under section 26A of the Wildlife Protection Act (1972) on 7 June, 2013, *vide* notification number FEE-B-F(6)-11/2005-II/Lippa Asrang. The area of the Wildlife Sanctuary is 31 square kilometres;

AND WHEREAS the sanctuary and most the area are isolated both physio-graphically and climatically consisting of forest type like Alpine Scrubs and Alpine pastures. The Sanctuary harbour many threatened flora and fauna. The prominent species including RET species found in the sanctuary includes, Himalayan Tahr (*Hemitragus jemlahicus*), Himalayan Brown Bear (*Ursus arctos isabellinus*), Himalayan Black Bear (*Ursus thibetanus laniger*), Musk Deer (*Moschus leucogaster*), Ibex (*Capra ibex*), Blue Sheep (*Pseudois nayaur*), Goral (*Naemorhedus goral*) etc. The Sanctuary is home to the magnificent Snow Leopard (*Panthera uncia*) which is State Animal of Himachal Pradesh and a flagship species for conservation of Trans-Himalayan region;

AND WHEREAS the sanctuary is an important bird area renowned for its diverse birdlife, attracting birdwatchers and ornithologists. The sanctuary serves as a wintering ground for several migratory birds. The avifauna and other insects species found in the sanctuary includes Golden Eagle (*Aquila chrysaetos*), Himalayan Griffon Vulture (*Gyps himalayensis*), Snow Partridge (*Lerwa lerwa*), Himalayan Monal (*Lophophorus impejanus*), Alpine Accentor (*Prunella collaris*), Lammergeier (*Gypaetus barbatus*), Himalayan Snowcock (*Tetraogallus himalayensis),* Egyptian vulture *(Neophron percnopterus),* Ram chakor (*Alectoris chukar),* White capped redstart *(Phoenicurus leucocephalus),*

Himalayan Buzzard *(Buteo refectus),* Common Banded Awl (*Hasora chromus*), Indian Fritillary (*Argynnis hyperbius*), Painted Lady (*Vanessa cardui*), Indian Skipper (*Hesperia comma*) etc.;

AND WHEREAS the sanctuary supports a wide variety of plant species, including many rare and endemic ones. The varied habitats, from alpine meadows to dense forests, harbor a rich assortment of vegetation which includes *Betula utilis*, *Pinus wallichiana*, *Artemisia brevifolia*, *Heracleum candicans*, *Thymus linearis*, *Bergenia stracheyi*, *Bistorta affinis*, *Rhododendron anthopogon, Cedrus deodara, Juniperus communis, Skimmia laureola, Aconitum heterophyllum, Gentiana kurroo, Jurinea macrocephalla, Ephedra gerardiana*, etc.;

AND WHEREAS it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundary of Lippa-Asrang Wildlife Sanctuary which is specified in paragraph 1, given below in this notification as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an Eco-Sensitive Zone around the boundary of Lippa Asrang Wildlife Sanctuary (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone is extends from 1 kilometre to 20.527 kilometre around the boundary of Lippa Asrang Wildlife Sanctuary encompassing Eco-sensitive Zone area of 298.467 square kilometre. Out of this 125.68 square kilometre land is waste land, 155.08 square kilometre is snow covered, 14.74 square kilometre is grassland and streams accounts for 1.969 square kilometre.

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended as **Annexure I**.

(3) The various maps of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure II A, Annexure II B** and **Annexure II C** and **Annexure II D**

(4) Geo Coordinates on the boundary of Lippa Asrang Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive zone are appended as **Annexure –III.**

(5) There are no village within the Eco-sensitive Zone.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Forest;
(ii) Revenue;
(iii) Agriculture and Horticulture;
(iv) Panchayati Raj and Rural Development;
(v) Irrigation and Flood Control;
(vi) Tourism;
(vii) Municipal and Urban Development;
(viii) Public Works Department and Highways;
(ix) Himachal Pradesh State Pollution Control Board; and
(x) Environment.

(4) The Zonal Master Plan shall also ensure that no restrictions are imposed on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval these of, any new developmental activities shall be governed by provisions specified at sub-para (1) and (2) of paragraph 6.

3. Measures to be taken by the State Government. - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, orchards, parks, lakes and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or the State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as.-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

IndiaCode

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under these Acts.

(8) Discharge of effluents.- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under these Acts.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(ii) safe and Environmentally Sound Management of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(c) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco- sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court, dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995; dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and dated the 26th April, 2023 and the 28th April, 2023 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI and in W.P.(C) No.202 of 1995.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Pollution prevention technologies and noise barriers should be installed by existing industries.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance/ hazardous waste.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Use of polythene bags and plastics.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
10.	Commercial extraction of surface and ground water.	Prohibited.
		B. Regulated Activities
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the

IndiaCode

		competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
15.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation with proper Environment Impact Assessment, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of Hill Slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by State Level Committee shall be undertaken on the steep hills and up to 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated as per applicable laws
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per applicable laws except for meeting local needs.
24.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water and otherwise, the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.

InfiaCode

28.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.
39.	Sustainable Forest Management Activities.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee - The Central Government herby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	CCF (Territorial) Rampur Forest Circle	Chairman, *ex-officio;*
(ii)	A representative of Non-governmental Organization working in the field of wildlife including heritage conservation to be nominated by the State Government of Himachal Pradesh from time to time after every three years	Member;
(iii)	An expert in the area of ecology and environment or forestry from reputed Institution or University to be nominated by the State Government of Himachal Pradesh from time to time after every three years	Member;
(iv)	Sub Divisional Magistrate having jurisdiction of the area	Member, *ex-officio;*
(v)	DCF (Territorial) Kinnaur Forest Division	Member, *ex-officio;*
(vi)	A representative from Himachal Pradesh State Pollution Control Board	Member, *ex-officio;*
(vii)	A representative from Department of Tourism, Himachal Pradesh	Member, *ex-officio;*
(viii)	DCF Sarahan Wildlife Division	Member-Secretary *ex-officio*

6. Functions of the Monitoring Committee.- (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-IV, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measures: The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/62/2015/ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

IndiaCode

Annexure I

DETAILED BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO SENSITIVE ZONE

The Eco sensitive Zone boundary in terms of landscape features includes ridges like Thothi Dhar, Gmjhang Dhar, Tepong, Ladsa Dhar, Kiyari Dhar and Metang Dhar. Forest beats- It falls under the Lippa beat of Kinnaur Territorial Forest Division. Rivers- Gumjhang Nalla, Tepong Nalla, Ladsa Nalla, Wari Nalla and Taiti Khad. Glaciers- Metanglongpa Glacier, Gumjhang Glacier and Ladsa Glacier. Temporary Gaddi Deras- Dharwali, Dhar Ladsa, Dhar Tepong, Dhar Gumjhang, Dhar Metang and Dhar Kiyari. The boundary descitpion in different directions is as under:

North: North East boundary of the Eco sensitive Zone is shared with Pin Valley National Park and North West is shared with Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary.

South: Tokto and Asarang are two villages located south of the Eco sensitive Zone falling in Moorang Range.

East: East Boundaries of the Eco sensitive Zone is aligned with Moorang Range of Kinnaur Territorial Forest Division and Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary; some part of boundary with Proposed Eco sensitive Zone of Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary.

West: Western side of the Eco sensitive Zone is aligned with the Eco sensitive Zone of Great Himalayan National Park and Sarahan Range of Rampur Territorial Forest Division.

IndiaCode

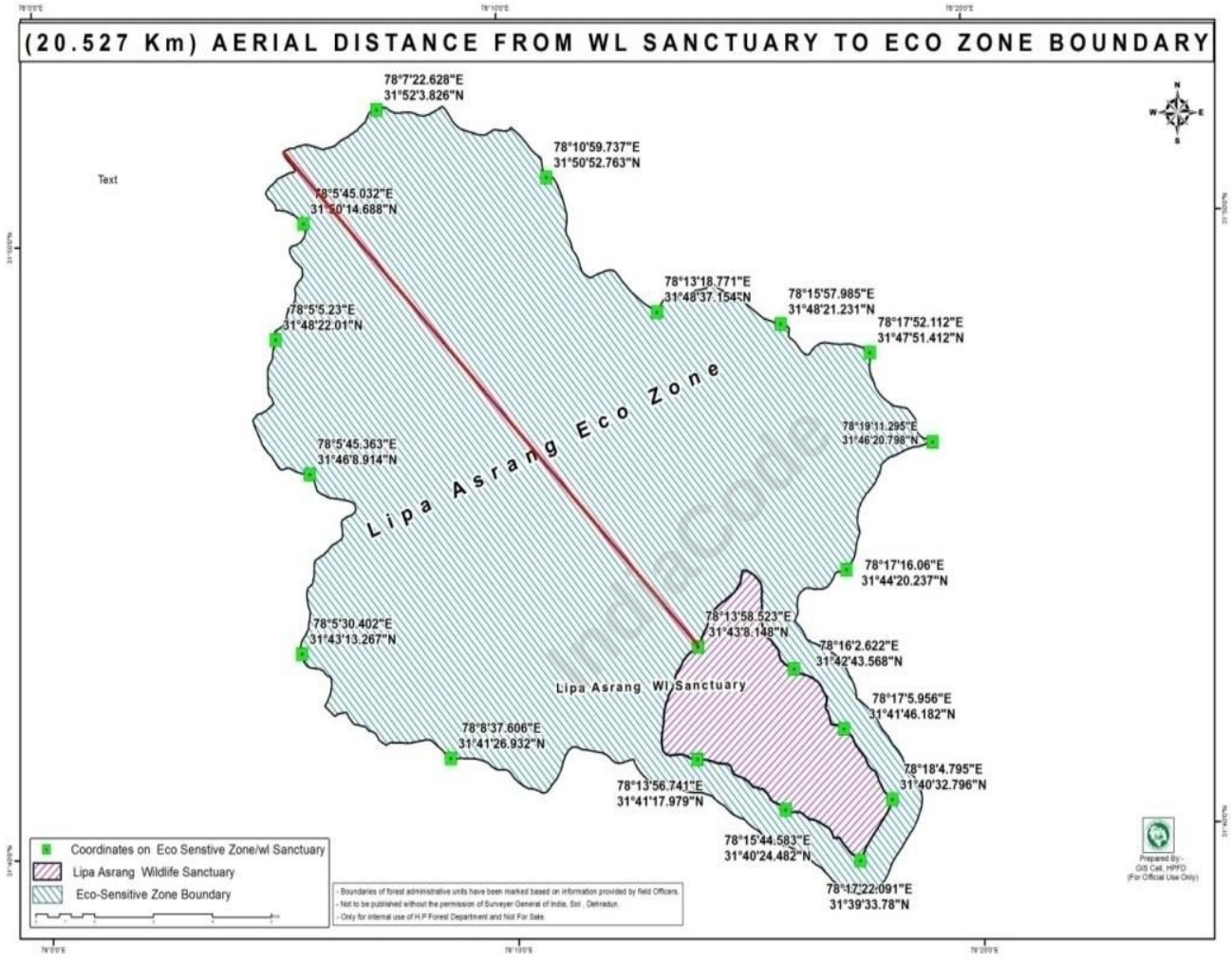
Annexure II A

LOCATION OF THE LIPPA ASRANG WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN KINNAUR DISTRICT



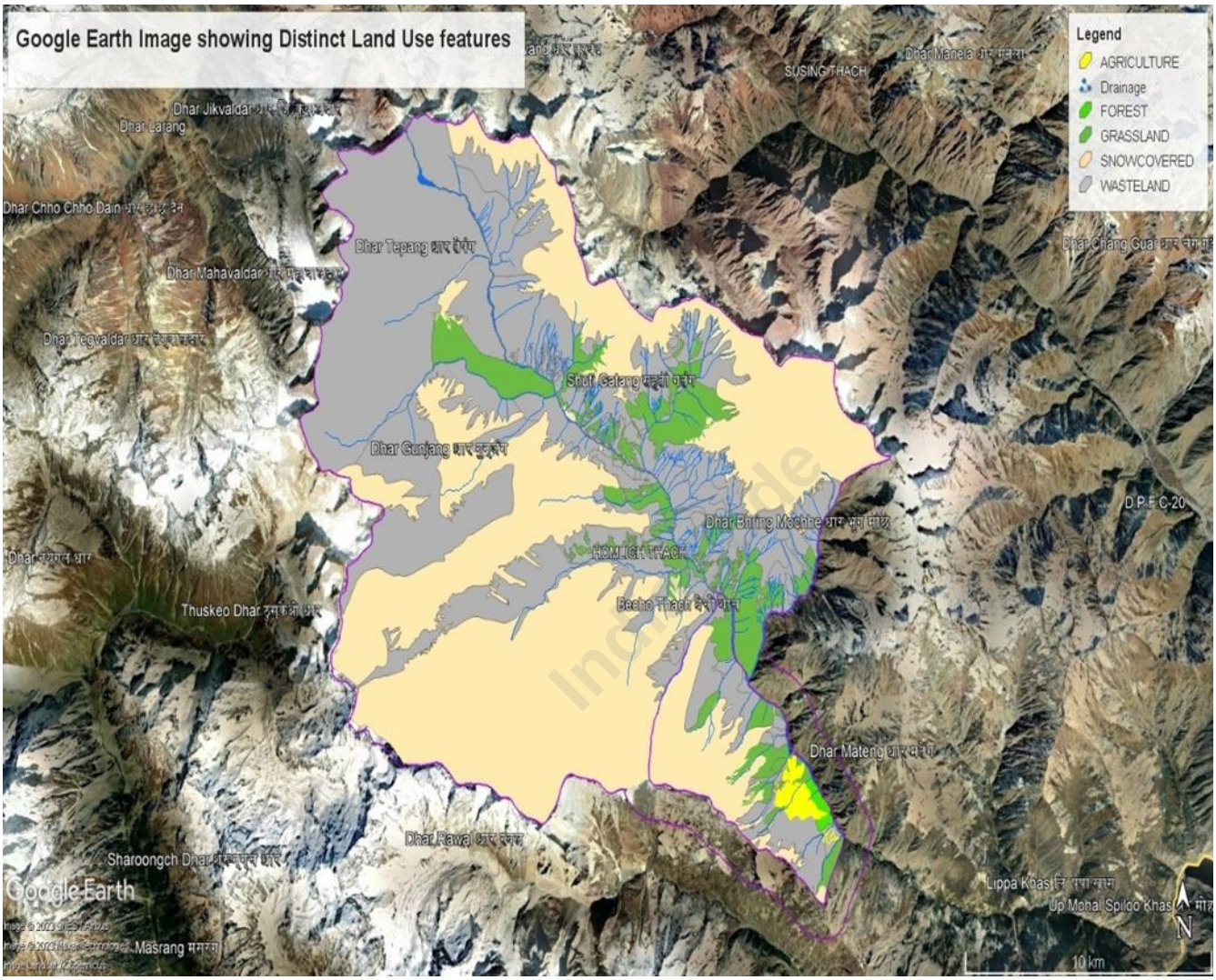
Annexure II B

MAP SHOWING GEO COORDINATES AND AERIAL DISTANCE FROM WILDLIFE SANCTUARY TO ESZ BOUNDARY



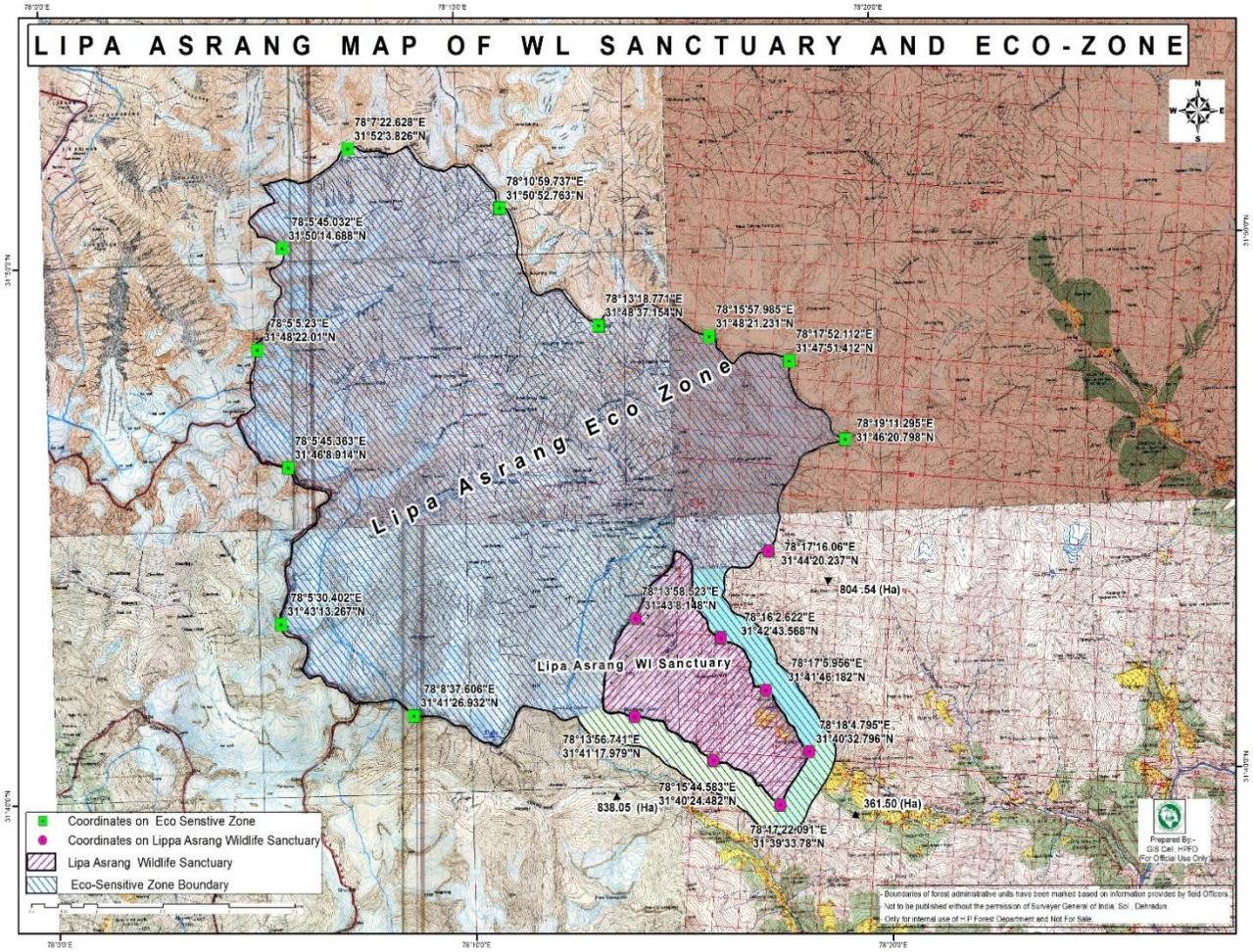
Annexure II C

LAND USE LAND COVER MAP OF ECO SENSITIVE ZONE



Annexure II D

TOPO SHEET MAP OF LIPPA ASRANG WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO SENSITIVE ZONE



Annexure III

TABLE A: GEO COORDINATES OF THE IMPORTANT POINTS ON THE BOUNDARY OF LIPPA ASRANG WILDLIFE SANCTUARY

Points	Latitude (N)	Longitude (E)
Point No. 1	31º44’21.617”	78º15’0.019”
Point No. 2	31º43’36.63”	78º15’22.109”
Point No.3	31º42’4.187”	78º16’6.465”
Point No. 4	31º42’4.459”	78º16’42.217”
Point No. 5	31º41’42.791”	78º17’6.442”
Point No. 6	31º41’13.894”	78º17’32.408”
Point No. 7	31º41’0.348”	78º17’44.577”
Point No. 8	31º40’32.268”	78º18’5.577”
Point No. 9	31º39’33.936”	78º17’22.667”
Point No. 10	31º40’0.005”	78º16’43.857”
Point No. 11	31º40’23.305”	78º16’2.253”
Point No. 12	31º40’23.659”	78º15’45.941”
Point No. 13	31º41’11.8”	78º14’36.235”
Point No. 14	31º41’28.98”	78º13’10.148”
Point No. 15	31º42’28.303”	78º13’23.89”
Point No. 16	31º43’9.159”	78º13’59.134”

TABLE-B : GEO COORDINATES OF THE IMPORTANT POINTS ON THE ECO SENSITIVE ZONE BOUNDARY

Points	Latitude (N)	Longitude (E)
1)	31°52’3.826”	78°7’22.628”
2)	31°50’52.763”	78°10’59.737”
3)	31°48’37.154”	78°13’18.771”
4)	31°48’21.231”	78°15’57.985”
5)	31°47’51.412”	78°17’52.112”
6)	31°46’21.025”	78°19’9.646”
7)	31°44’20.237”	78°17’16.060”
8)	31°44’21.588”	78°15’0.004”
9)	31°42’39.74”	78°16’14.06”
10)	31°41’42.52”	78°17’11.00”
11)	31°40’3.05”	78°17’34.12”
12)	31°39’52.41”	78°16’47.83”
13)	31°40’54.99”	78°14’41.63”
14)	31°41’26.932”	78°8’37.606”
15)	31°43’13.267”	78°5’30.402”
16)	31°46’8.914”	78°5’45.363”
17)	31°48’22.010”	78°5’5.230”
18)	31°50’14.688”	78°5’45.032”

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.12 11:07:24 +05'30'